

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-316

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

सौर और जल विद्युत उत्पादन इकाइयों से होने वाला विद्युत उत्पादन

*316. श्री रोनाल्ड सपा लाउ:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) इस समय सौर और जल विद्युत उत्पादन इकाइयों द्वारा उत्पन्न की जा रही विद्युत की, राज्य-वार, कुल क्षमता कितनी है;
- (ख) सरकार द्वारा ऐसे राज्यों, जो विशेषतया, उत्पादित विद्युत को खरीदने के संबंध में भारत तथा विदेशों के निवेशकों को आमंत्रित करने के इच्छुक हैं, पर कौन-कौन से मौजूदा मानदंडों को लागू किया गया है; और
- (ग) जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में देश में जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने के संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"सौर और जल विद्युत उत्पादन इकाइयों से होने वाला विद्युत उत्पादन" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 23.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 316 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): सौर विद्युत तथा जल-विद्युत से विद्युत उत्पादन की कुल संस्थापित क्षमता के राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध पर दिए गए हैं।

(ख): सरकार ने उत्पादन को बढ़ावा देने और इस प्रकार भारत से और विदेश से निवेशकर्ताओं को आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं।

- (i) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विद्युत का उत्पादन एक लाइसेंस रहित गतिविधि है। इस प्रकार विकासकर्ता अपने वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर उत्पादन केंद्रों की स्थापना कर सकते हैं।
- (ii) जनवरी, 2016 में जारी की गई प्रशुल्क नीति में वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत की खरीद प्रतिस्पर्धात्मक रूप से करने की अनुमति है।
- (iii) प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से सौर तथा पवन विद्युत की खरीद के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- (iv) 2021-22 तक नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) घोषित किया गया।
- (v) नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पालिसी अधिसूचित की गई।
- (vi) पवन विद्युत परियोजनाओं के पुनःशक्तिकरण के लिए नीति अधिसूचित की गई।
- (vii) सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम/डिवाइसेस लगाने के मानक अधिसूचित किए गए।
- (viii) मार्च, 2022 तक चालू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सौर तथा पवन विद्युत की अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली प्रभारों तथा हानियों से छूट दी गई है।

(ग): सरकार स्वच्छ एवं हरित जल-विद्युत को बढ़ावा देते हुए जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है। इस दिशा में, सरकार ने जल-विद्युत को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपायों का अनुमोदन किया है:

1. बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं (एलचपी) (25 मेगावाट से अधिक की परियोजनाएं) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित करना।
2. गैर-सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के भीतर एक पृथक एन्टिटी के रूप में जल-विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ)।
3. जल-विद्युत प्रशुल्क को कम करने के लिए प्रशुल्क यौक्तिकीकरण उपाय।
4. बाढ़ संतुलन/भंडारण जल-विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता।
5. सहायक अवसंरचना अर्थात् सड़क/पुल इत्यादि की लागत हेतु बजटीय सहायता।

"सौर और जल विद्युत उत्पादन इकाइयों से होने वाला विद्युत उत्पादन" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 23.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 316 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

सौर एवं जल विद्युत से उत्पादित विद्युत की राज्य-वार संस्थापित क्षमता

31.05.2019 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	राज्य	विद्युत उत्पादन की संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	
		सौर विद्युत	जल विद्युत
1	हिमाचल प्रदेश	24.02	9809.02
2	जम्मू और कश्मीर	15.12	3449.00
3	पंजाब	905.62	1096.30
4	हरियाणा	232.16	0.00
5	राजस्थान	3551.00	411.00
6	उत्तराखंड	309.84	3756.35
7	उत्तर प्रदेश	1045.10	501.60
8	छत्तीसगढ़	231.35	120.00
9	चंडीगढ़	34.71	0.00
10	दादर और नगर हवेली	5.46	0.00
11	दमन और दीव	15.41	0.00
12	दिल्ली	132.15	0.00
13	गुजरात	2564.14	1990.00
14	गोवा	4.78	0.00
15	मध्य प्रदेश	1992.25	2235.00
16	महाराष्ट्र	1639.15	3047.00
17	आंध्र प्रदेश	3290.76	1610.00
18	कर्नाटक	6134.91	3644.20
19	केरल	140.33	1856.50
20	तमिलनाडु	2812.05	2178.20
21	तेलंगाना	3598.80	2405.60
22	त्रिपुरा	9.41	0.00
23	झारखंड	36.47	210.00
24	बिहार	144.95	0.00
25	ओडिशा	396.89	2142.25
26	सिक्किम	0.01	2169.00
27	पश्चिम बंगाल	89.43	1341.20
28	अरुणाचल प्रदेश	5.39	515.00
29	असम	26.87	350.00
30	नागालैंड	1.00	75.00
31	मणिपुर	3.47	105.00
32	मेघालय	0.12	322.00
33	मिजोरम	0.51	60.00
34	अंडमान और निकोबार	11.73	0.00
35	लक्षद्वीप	0.75	0.00
36	पुडुचेरी	3.14	0.00
	कुल	29409.25	45399.22

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-317

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

उत्तर-पूर्वी राज्यों को कम मूल्य पर विद्युत उपलब्ध कराया जाना

*317. श्री कामाख्या प्रसाद तासा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में यथोचित कम मूल्य पर विद्युत उपलब्ध कराने के लिए और अधिक विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का विचार रखती है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;
- (ग) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि विद्युत की कमी के कारण विकास और नए उद्योगों को खोले जाने की गति धीमी बनी हुई है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कार्ययोजना बनाई गई है; और
- (ङ) क्रमशः नाभिकीय विद्युत, ताप विद्युत, जल विद्युत और सौर विद्युत का उत्पादन करने वाली इकाइयों की, राज्य-वार, संख्या कितनी- कितनी है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"उत्तर-पूर्वी राज्यों को कम मूल्य पर विद्युत उपलब्ध कराया जाना" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 23.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 317 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में कुल 3820.65 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता निर्माण के विभिन्न चरणों में है और इन परियोजनाओं के वर्ष 2023-24 तक पूरी होने की संभावना है। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की सूची **अनुबंध-1** में दी गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में 2880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए निर्माण पूर्व कार्यकलापों के लिए 1600 करोड़ रुपए का व्यय करने के लिए अनुमोदन दिया है।

(ग): जी नहीं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की मांग को पूरा करने के लिए उन्हें पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराई गई है।

(घ): उपर्युक्त (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

(ड.): दिनांक 30.06.2019 की स्थिति के अनुसार, ताप, जल-विद्युत, नाभिकीय तथा सौर-विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-11** में संलग्न है।

"उत्तर-पूर्वी राज्यों को कम मूल्य पर विद्युत उपलब्ध कराया जाना" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 23.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 317 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

क्र.सं.	स्कीम का नाम (निष्पादन एजेंसी)	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (सं. x मेगावाट)	निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)	नवीनतम चालू किया जाना
अरुणाचल प्रदेश					
1	कमेंग (नीपको) - हाइड्रो	केन्द्रीय	4x150	600.00	2019-20
अरुणाचल प्रदेश/असम					
2	नामरूप सीसीजीटी (एपीजीसीएल)-थर्मल	राज्य	1x36.15	36.15	2019-20
3	सुबानसिरि लोअर (एनएचपीसी) -हाइड्रो	केन्द्रीय	8x250	2000.00	2023-24 *
उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश/असम				2636.15	
सिक्किम					
4	तीस्ता स्टे. VI (एनएचपीसी) - हाइड्रो	केन्द्रीय	4x125	500.00	2023-24 *
5	भास्मे (गति इन्फ्रास्ट्रक्चर) -हाइड्रो	निजी	3x17	51.00	2022-23*
6	रंगीत-IV (जेएएल पावर) - हाइड्रो	निजी	3x40	120.00	2022-23 *
7	रंगीत-II (सिक्किम हाइड्रो) - हाइड्रो	निजी	2x33	66.00	2021-22*
8	रोंगनीचू (मध्य भारत) - हाइड्रो	निजी	2x48	96.00	2020-21
9	पनान (हिमगिरि) - हाइड्रो	निजी	4x75	300.00	2023-24*
उप-जोड़: सिक्किम				1133.00	
कुल:				3769.15	

* रुकी हुई परियोजनाओं की कमीशनिंग की तिथि कार्यों के पुनः शुरु होने के अधीन है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्माणाधीन लघु जल-विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	कार्यान्वयन एजेंसी	19.17.2019 को स्थिति
अरुणाचल प्रदेश				
1	तिराप जिले में नामाचिक-I	0.5	लघु जल विद्युत विकास विभाग	कुल 70% वास्तविक प्रगति
2	तिराप जिले में नामाचिक-II	0.3	लघु जल विद्युत विकास विभाग	कुल 90% वास्तविक प्रगति
3	तिराप जिले में पखंखा	0.5	लघु जल विद्युत विकास विभाग	कुल 80% वास्तविक प्रगति

4	कुरुंग कुमे जिले में पिंची में पायु	0.5	लघु जल विद्युत विकास विभाग	कुल 70% वास्तविक प्रगति
5	तवांग जिले में नौरानांग फेज-II	1	लघु जल विद्युत विकास विभाग	कुल 90% वास्तविक प्रगति
6	कामेंग जिले में खजालोंग वेस्ट	2	लघु जल विद्युत विकास विभाग	कुल 80% वास्तविक प्रगति
7	संग्राम कुरुंग कुमे जिले में कुश	2	लघु जल विद्युत विकास विभाग	कुल 80% वास्तविक प्रगति
8	तवांग जिले में सुमबाचू एसएचपी	3	हाइड्रो पावर डेवलेपमेंट कारपोरेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश	कुल 90% वास्तविक प्रगति
9	तवांग जिले में टकसांग चू एसएचपी	3.4	हाइड्रो पावर डेवलेपमेंट कारपोरेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश	मोबिलाइजेशन शुरू किया
10	तवांग जिले में खिनमे गोम्पा एमएचपी	0.1	लघु जल विद्युत विकास विभाग	कुल 70% वास्तविक प्रगति
मेघालय				
11	गनोल एसएचपी वेस्ट गारो हिल्स जिला	22.50	मेघालय पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	कुल 70% वास्तविक प्रगति
12	वेस्ट खासी हिल्स जिले में रियांगदो एसएचपी	3.00	मेघालय पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	कुल 20% वास्तविक प्रगति
मिजोरम				
12	चंफाई जिले में कवालबेम	3.50	पावर एंड इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, मिजोरम सरकार	कुल 75% वास्तविक प्रगति
13	चंफाई जिले में तलावावा	5.00	पावर एंड इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, मिजोरम सरकार	कुल 80% वास्तविक प्रगति
14	तुइचिंग एसएचपी	0.10	पावर एंड इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, मिजोरम सरकार	कुल 60% वास्तविक प्रगति
15	तुइरिजा एसएचपी	0.10	पावर एंड इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, मिजोरम सरकार	कुल 60% वास्तविक प्रगति
नागालैंड				
16	किफिरे जिले में पोंगलेफो एसएचपी	1.00	विद्युत विभाग, नागालैंड सरकार	कुल 70% वास्तविक प्रगति
सिक्किम				
17	नॉर्थ सिक्किम जिले में चर्त्ते स्टेज-II	3 .00	सिक्किम पावर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	कुल 60% वास्तविक प्रगति
कुल		51.5		

"उत्तर-पूर्वी राज्यों को कम मूल्य पर विद्युत उपलब्ध कराया जाना" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 23.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 317 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्य	ताप विद्युत (संख्या)	जल-विद्युत (संख्या)	न्युकलियर विद्युत (संख्या)	सौर ऊर्जा (मेगावाट)
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1			11.73
आंध्र प्रदेश	23	4		3307.29
अरुणाचल प्रदेश		2		5.39
असम	7	3		29.34
बिहार	5			145.82
चण्डीगढ़				34.71
छत्तीसगढ़	28	1		231.35
दादर एवं नगर हवेली				5.46
दमन दीव				15.45
दिल्ली	5			132.15
गोवा	1			4.78
गुजरात	26	4	1	2622.21
हरियाणा	6			240.27
हिमाचल प्रदेश		26		25.43
जम्मू कश्मीर	1	12		16.37
झारखण्ड	8	4		36.47
कर्नाटक	9	16	1	6145.71
केरल	4	14		141.23
लक्षद्वीप				0.75
मध्य प्रदेश	13	10		1995.87
महाराष्ट्र	27	13	1	1643.85
मणिपुर	1	1		3.64
मेघालय		5		0.12
मिजोरम		1		0.66
नागालैंड		1		1
ओडिशा	7	7		397.08
पंजाब	5	9		905.62
पुडुचेरी	1			3.2
राजस्थान	11	4	2	3552.8
सिक्किम		7		0.01
तमिलनाडु	24	27	2	2814.99
तेलंगाना	7	8		3620.75
त्रिपुरा	5			9.41
उत्तर प्रदेश	21	4	1	1045.1
उत्तराखण्ड	2	16		312.66
पश्चिम बंगाल	20	5		90.64
कुल	268	204	8	29549.31

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-325

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सुविधा से वंचित घरों की संख्या का पता लगाया जाना

*325. श्री भुवनेश्वर कालिता:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सुविधा से वंचित घरों की संख्या का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे घरों की, राज्य-वार, विशेषकर असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) इनमें से कितने घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और 31 मार्च, 2019 तक कितने गांवों में बिजली नहीं पहुंच पाई है; और

(घ) देश में विशेषकर असम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में सभी ग्रामीण घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार ने कौन-सी तारीख निर्धारित की है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सुविधा से वंचित घरों की संख्या का पता लगाया जाना" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 23.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 325 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों सहित 28.04.2018 को देशभर में सभी आबादी वाले जनगणना गांव विद्युतीकृत कर दिये गये हैं। भारत सरकार ने मार्च, 2019 तक देशभर में ग्रामीण क्षेत्रों में इच्छुक सभी गैर विद्युतीकृत घरों तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराते हुए सभी घरों के विद्युतीकरण को प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना- सौभाग्य की शुरुआत की। 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 घरों को छोड़कर सभी राज्यों द्वारा सौभाग्य पोर्टल पर सभी घरों का विद्युतीकरण घोषित किया है। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 11.10.2017 को स्कीम की शुरुआत से असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों सहित देशभर में 31.03.2019 तक 2.63 करोड़ घरों को विद्युतीकृत किया गया था। राज्यवार ब्यौरे **अनुबंध** में दिये गये हैं। तत्पश्चात, छत्तीसगढ़ सरकार ने 14.06.2019 को 40,394 गैर विद्युतीकृत घरों तथा राजस्थान सरकार ने 01.07.2019 को राज्य में 1,45,528 गैर विद्युतीकृत घरों की सूचना दी है। असम सरकार ने 19 जुलाई, 2019 को सूचित किया है कि कुछ गैर विद्युतीकृत घर ऐसे हैं जिनमें गैर राजस्व गांवों (एनसी), वन गांवों (एफवी), स्थायी आरक्षित चरागाह (पीजीआर), परिवर्तनीय आरक्षित चरागाह (वीजीआर) के घर भी शामिल हैं जो घरेलू विद्युतीकरण के लिए असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) के मंडेट से बाहर हैं।

अनुबंध

"ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सुविधा से वंचित घरों की संख्या का पता लगाया जाना"के बारे में राज्य सभा में दिनांक 23.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 325 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

11.10.2017 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान सौभाग्य पोर्टल के अनुसार घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	181,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	1,745,149
4	बिहार	3,259,041
5	छत्तीसगढ़	749,397
6	गुजरात	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू और कश्मीर	387,501
10	झारखंड	1,530,708
11	कर्नाटक	356,974
12	मध्य प्रदेश	1,984,264
13	महाराष्ट्र	1,517,922
14	मणिपुर	102,748
15	मेघालय	199,839
16	मिजोरम	27,970
17	नागालैंड	132,507
18	ओडिशा	2,452,444
19	पुडुचेरी	912
20	पंजाब	3,477
21	राजस्थान	1,862,736
22	सिक्किम	14,900
23	तमिलनाडु	2,170
24	तेलंगाना	5,15,084
25	त्रिपुरा	1,39,090
26	उत्तर प्रदेश	7,980,568
27	उत्तराखंड	2,48,751
28	पश्चिम बंगाल	7,32,290
	कुल	26,284,350

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3472
जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र परिषद और उसका विधिक ढांचा

3472. प्रो. एम. वी. राजीव गौडा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या प्रस्तावित विद्युत क्षेत्र परिषद् विद्युत से संबंधित केंद्र-राज्य के विवादों के लिए अर्धशासकीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है;
- (ख) क्या परिषद् के पास केंद्र अथवा राज्य सरकारों को वैधानिक कार्रवाईयों के सुझाव देने की शक्ति है;
- (ग) परिषद् की क्या शर्तें होंगी और वह किस विधिक ढांचे का पालन करते हुए कार्य करेगी;
- (घ) क्या विद्युत क्षेत्र परिषद् केन्द्र-राज्य की नीतियों पर लगातार निगरानी रखता है अथवा असहमति के मामले में किसी एक दल को उससे संपर्क करना होगा; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : वर्तमान में, केंद्र और राज्यों के बीच विद्युत क्षेत्र से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए विद्युत क्षेत्र परिषद गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (ङ) : उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3473

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

स्वतंत्र विद्युत कंपनियों के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र

3473. डॉ. टी. सुब्बाराजी रेड्डी:

श्रीमती अम्बिका सोनी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार द्वारा स्वतंत्र विद्युत कंपनियों की भुगतान सुरक्षा तंत्र के कार्यान्वयन की मांग को पूरा किया गया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या वितरण कंपनियों के लिए निजी विद्युत संयंत्रों को भुगतान सुरक्षा के रूप में पर्याप्त साख पत्र खोलना और बनाए रखना अनिवार्य होगा;
- (घ) यदि हां, तो आदेश कब से प्रभावी होंगे; और
- (ङ) कंपनियों की संकटग्रस्त विद्युत आस्तियों की समस्या के समाधान हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत मंत्रालय ने वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत क्रय करारों के तहत भुगतान सुरक्षा तंत्र के रूप में शाखपत्र (एलसी) खोलने और पर्याप्त ढंग से बरकरार रखने के बारे में 28 जून, 2019 का एक आदेश और उसके बाद 17 जुलाई, 2019 का शुद्धिपत्र जारी किया है।

दिनांक 28 जून, 2019 के आदेश के अनुसार विद्युत आपूर्ति के लिए पद्धति भी 17 जुलाई, 2019 को जारी कर दी गई है। आदेश अनुबंध में दिए गए हैं।

(ङ) : विद्युत क्षेत्र में संकटग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

भारत सरकार ने संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं के मामलों का समाधान करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) गठित की थी। एचएलईसी की रिपोर्ट 12.11.2018 को प्रस्तुत की गई थी और इसे विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में भी रखा गया था।

उसके बाद सरकार ने एचएलईसी की विशिष्ट सिफारिशों की जांच करने के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया था। मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने संकटग्रस्त विद्युत परियोजनाओं के बारे में सिफारिशें की थीं। सरकार द्वारा यथाअनुमोदित जीओएम की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- (i) अल्पकालिक विद्युत क्रय करार (पीपीए) के लिए कोल लिंकेज की अनुमति।
- (ii) डिस्कॉमों द्वारा भुगतान में चूक होने के कारण पीपीए समाप्त होने की स्थिति में उपयोग किए जाने वाले अनुमत्य मौजूदा कोयला लिंकेज।
- (iii) पूर्व घोषित लिंकेजों के विरुद्ध नोडल एजेंसी द्वारा थोक विद्युत की खरीद।
- (iv) केंद्र/राज्य जेनको विद्युत के समूहक के रूप में कार्य करें।
- (v) विद्युत क्षेत्र के लिए विशेष फॉरवर्ड ई-नीलामी के लिए कोयले की मात्रा में वृद्धि।
- (vi) कोल लिंकेज नीलामी नियमित अंतराल पर आयोजित की जाए।
- (vii) कोयले की कम आपूर्तियों की नान-लैप्सिंग।
- (viii) वार्षिक संविदागत मात्रा (एसीक्यू) दक्षता आधार पर निर्धारित की जाए।
- (ix) विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) के भुगतान को अनिवार्य बनाया गया है।
- (x) विद्युत क्रय करार (पीपीए)/ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए)/दीर्घकालिक खुली पहुंच (एलटीओए), पोस्ट नेशनल कंपनी लॉ ट्रीब्यूनल (एनसीएलटी) परिदृश्य को रद्द न करना।
- (xi) वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) का पालन न करने पर पीपीए रद्द न करना।

राज्य सभा में दिनांक 23.07.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3473 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सं. 23/22/2019-आरएंडआर

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 जून, 2019

आदेश

विषय: वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत क्रय करारों के तहत भुगतान सुरक्षा तंत्र के रूप में साखपत्र (एलसी) खोलने और पर्याप्त ढंग से बरकरार रखने के बारे में।

- 1.0 विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (आरएलडीसी) तथा राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी) यह सुनिश्चित करने के लिए सांविधिक उत्तरदायित्वों से बनाए गए हैं कि विद्युत की आपूर्ति संविदाओं के अनुसार की जाती है।
- 2.0 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 28(3)(क) में व्यवस्था है कि क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र लाइसेंसियों के साथ अथवा क्षेत्र में प्रचालनरत उत्पादन कंपनियों के साथ की गई संविदाओं के अनुसार क्षेत्र के भीतर विद्युत की इष्टतम शेड्यूलिंग और प्रेषण के लिए उत्तरदाई होगा।
- 3.0 इसी प्रकार धारा 32(2)(क) के उपबंधों के अनुसार राज्य भार प्रेषण केंद्र लाइसेंसियों के साथ अथवा उस राज्य में प्रचालनरत उत्पादन कंपनियों के साथ की गई संविदाओं के अनुसार राज्य के भीतर विद्युत की इष्टतम शेड्यूलिंग और प्रेषण के लिए उत्तरदाई होगा।
- 4.0 विद्युत क्रय करारों में विद्युत के वितरण लाइसेंसियों/प्राप्तकों द्वारा मुख्यतः साखपत्र के रूप में पर्याप्त भुगतान सुरक्षा तंत्र बनाए रखने का प्रावधान है। विद्युत के आहरण के कारण देय भुगतानों को शामिल करने के लिए एक सुदृढ़ भुगतान सुरक्षा तंत्र हेतु पर्याप्त और वैध साखपत्र अपेक्षित है।
- 5.0 यह देखा गया है कि उपरोक्त उपबंधों के बावजूद साखपत्र नहीं दिए जा रहे हैं और भुगतान नहीं किए गए बिलों के कारण भारी बकाया राशि है। इससे ईंधन का भुगतान करने के लिए उत्पादकों को कठिनाई होती है। जो उत्पादन जारी रखने के लिए प्रीपेड होने चाहिए। उत्पादकों को रेलवे को रैकों हेतु अग्रिम भुगतान भी करना होता है। यदि यह स्थिति निरंतर बनी रहती है तो उत्पादक ईंधन/दुलाई के लिए भुगतान नहीं कर सकेंगे और इससे विद्युत के उत्पादन में कमी होगी। इस प्रकार उत्पादन की कमी के कारण काफी बड़े स्तर पर लोड शेडिंग होगी। इसलिए यह अनिवार्य है कि उपरोक्त उल्लिखित प्रावधान सख्ती से कार्यान्वित किए जाएं। इसलिए एनएलडीसी और आरएलडीसी को नीचे दिए अनुसार निदेश दिए जाते हैं :-
 - i. धारा 28(3)(क) के अनुसार एनएलडीसी और आरएलडीसी उत्पादन कंपनी और/वितरण कंपनियों द्वारा यह सूचित करने के बाद ही विद्युत का प्रेषण करेंगे कि विद्युत की वांछित मात्रा के लिए एक साखपत्र खोला गया है और प्रतियां संबंधित उत्पादन कंपनी को उपलब्ध करा दी गई हैं।

- ii. एनएलडीसी और आरएलडीसी को सूचना में आपूर्ति की अवधि विनिर्दिष्ट होगी।
- iii. आरएलडीसी साखपत्र के मूल्य की समतुल्य मात्रा तक ही विद्युत का प्रेषण करेगा।
- iv. एलसी के तहत विद्युत की मात्रा की आपूर्ति किए जाने पर प्रेषण बंद हो जाएगा।
- v. संबंधित उत्पादन कंपनी पीपीए में किए गए प्रावधान के अनुसार रियायत अवधि अर्थात् 45 से 60 दिनों के समाप्त होने पर एलसी के नकदीकरण के लिए पात्र होगी।
- vi. ऊपर दिए गए किसी कारण से विद्युत का प्रेषण नहीं किया जाता है तो वितरण लाइसेंसी उत्पादन कंपनी को निर्धारित प्रभारों का भुगतान करता रहेगा।

- 6.0 भार प्रेषण केंद्र द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विनियम की अवधि के दौरान विनियमित निकाय की पावर एक्सचेंज से विद्युत के प्रापण हेतु कोई पहुंच नहीं और उन्हें अल्प अवधि खुली पहुंच (एसटीओए) की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 7.0 वितरण लाइसेंसी द्वारा साखपत्र नहीं खोले जाने के कारण किसी उत्पादक द्वारा उत्पादित विद्युत की शेड्यूलिंग और प्रेषण नहीं किए जाने की स्थिति में वितरण लाइसेंसी ने जिस उत्पादक के साथ विद्युत क्रय करार अथवा विद्युत बिक्री करार, जैसी भी स्थिति हो की शर्तों के अनुसार वितरण लाइसेंसी उत्पादक को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदाई होंगे।
- 8.0 एनएलडीसी/आरएलडीसी/एसएलडीसी 01.08.2019 से विद्युत अधिनियम 2003 के तहत दी गई इस प्रकार की झूटी करेगा।
- 9.0 यह पत्र विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(देवरंजन चट्टोपाध्याय)

अवर सचिव, भारत सरकार

फोन : 011-23730265

सेवा में,

1. सीएमडी, पोसोको/एनएलडीसी एवं आरएलडीसी के प्रमुख
2. प्रधान सचिव/सचिव (विद्युत/ऊर्जा), राज्य/संघ राज्य सरकार - डिस्कॉमों/एसएलडीसी को आवश्यक सूचना के लिए
3. सभी उत्पादन कंपनियां
4. सभी वितरण कंपनियां
5. सचिव, सभी राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी)/जेईआरसी

प्रति :

1. अध्यक्ष, सीईए, सेवा भवन, आर. के. पुरम, नई दिल्ली
2. सचिव, सीईआरसी/एफओआर, चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली

प्रति - सूचनार्थ

1. सभी संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय
2. विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव
3. सचिव (विद्युत) के पीपीएस, अपर सचिव (एसएनएस) के पीपीएस, सीई (आरआर) के पीपीएस

सं. 23/22/2019-आरएंडआर

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 जुलाई, 2019

शुद्धिपत्र

विषय: वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत क्रय करारों के तहत भुगतान सुरक्षा तंत्र के रूप में साखपत्र (एलसी) खोलने और पर्याप्त ढंग से बरकरार रखने के बारे में।

संदर्भ : इस मंत्रालय का दिनांक 28.06.2019 का समसंख्यक आदेश (प्रति संलग्न है)

2. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस मंत्रालय के ध्यान में लाया है कि काफी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन अंतरराज्यीय उत्पादक हैं।
3. कुछ राज्यों ने अनुरोध किया है कि एलसी खोलने में विलंब आदि के मामले में एक दिन अथवा अधिक के लिए आपूर्ति हेतु अग्रिम भुगतान का प्रावधान भी होना चाहिए।
4. इसलिए निम्नलिखित जोड़ते हुए दिनांक 28.06.2019 के आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।
 - i. जहां भी 'एनएलडीसी और आरएलडीसी' शब्द आए हैं। उसके पश्चात 'तथा राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलसी)' शब्द जोड़ जाएंगे।
 - ii. उपरोक्त आदेश के पैरा 5.0 (vi) के पश्चात निम्नलिखित पैरे जोड़े जाएंगे।
 - vii. एलसी पीपीए के अनुसार खोले जाएं तथापि वितरण कंपनी अल्पावधि अर्थात एक सप्ताह अथवा पन्द्रह दिन की आपूर्ति के अनुरूप एलसी खोल सकती है। इसे संबंधित एलडीसी तथा उत्पादक कंपनी को सूचित कर दिया जाए। इस प्रकार के मामलों में भी विद्युत शेड्यूल होगी।
 - viii. यदि एलसी खोलने में कोई कठिनाई है तो वितरण कंपनी विद्युत की कम-से-कम एक दिन की खरीद की अनुरूपी राशि के बराबर राशि इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए अग्रिम भुगतान कर सकती है और संबंधित एलडीसी को इसकी सूचना दी जाए। इस प्रकार के मामलों में भी एलडीसी वितरण कंपनी को पावर की शेड्यूल करेगी।
5. दिनांक 28.06.2019 के विद्युत मंत्रालय के समसंख्यक आदेश की अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(देवरंजन चट्टोपाध्याय)

अवर सचिव, भारत सरकार

फोन : 011-23730265

संलग्नक : यथोक्त

सेवा में,

1. सीएमडी, पोसोको/एनएलडीसी एवं आरएलडीसी के प्रमुख
2. प्रधान सचिव/सचिव (विद्युत/ऊर्जा), राज्य/संघ राज्य सरकार - डिस्कॉमों/एसएलडीसी को आवश्यक सूचना के लिए
3. सभी उत्पादन कंपनियां
4. सभी वितरण कंपनियां
5. सचिव, सभी राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी)/जेईआरसी

प्रति :

1. अध्यक्ष, सीईए, सेवा भवन, आर. के. पुरम, नई दिल्ली
2. सचिव, सीईआरसी/एफओआर, चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली

प्रति - सूचनार्थ

1. सभी संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय
2. विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव
3. सचिव (विद्युत) के पीपीएस, अपर सचिव (एसएनएस) के पीपीएस, सीई (आरआर) के पीपीएस

सं. 23/22/2019-आरएंडआर

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 जुलाई, 2019

सेवा में,

1. सीएमडी, पोसोको/एनएलडीसी एवं आरएलडीसी के प्रमुख
2. प्रधान सचिव/सचिव (विद्युत/ऊर्जा), राज्य/संघ राज्य सरकार - डिस्कॉमों/एसएलडीसी को आवश्यक सूचना के लिए
3. सभी उत्पादन कंपनियां
4. सभी वितरण कंपनियां
5. सचिव, सभी राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी)/जेईआरसी

विषय : साखपत्र बरकरार नहीं रखने की स्थिति में वितरण कंपनी को विद्युत की शेड्यूलिंग के लिए प्रक्रिया।

महोदय,

वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत क्रय करारों के अंतर्गत भुगतान सुरक्षा तंत्र के रूप में साखपत्र (एलसी) खोलने और पर्याप्त ढंग से बरकरार रखने के बारे में इस मंत्रालय के दिनांक 28.06.2019 के समसंख्यक आदेश का संदर्भ ग्रहण करें।

2. साखपत्र बरकरार नहीं रखने की स्थिति में वितरण कंपनी को विद्युत की शेड्यूलिंग के लिए एक प्रक्रिया तैयार की गई है। सभी संबंधित प्राधिकारियों से अनुरोध है कि संलग्न प्रक्रिया का अनुपालन करें।
3. सभी पणधारकों द्वारा अनुपालन के लिए।

भवदीय,

(देवरंजन चट्टोपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन : 011-23730265

संलग्नक : यथोक्त

प्रति :

1. अध्यक्ष, सीईए, सेवा भवन, आर. के. पुरम, नई दिल्ली
2. सचिव, सीईआरसी/एफओआर, चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली

प्रति - सूचनार्थ

1. सभी संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय
2. विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव
3. सचिव (विद्युत) के पीपीएस, अपर सचिव (एसएनएस) के पीपीएस, सीई (आरआर) के पीपीएस

साखपत्र बरकरार नहीं रखने की स्थिति में वितरण कंपनी को विद्युत की शेड्यूलिंग के लिए प्रक्रिया

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 28.06.2019 के आदेश सं.23/22/2019-आरएंडआर के तहत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत क्रय करारों के तहत भुगतान सुरक्षा तंत्र के रूप में साखपत्र (एलसी) खोलने और पर्याप्त ढंग से बरकरार रखने के बारे में निर्देश जारी किए हैं। यह प्रक्रिया विद्युत अधिनियम 2003 के उपबंधों के अनुसार निर्धारित की गई है।

सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विद्युत की शेड्यूलिंग के लिए प्रक्रिया को नीचे दिए गए अनुसार संशोधित किया जाता है :-

- (क) प्रेषण के लिए विद्युत केवल तभी शेड्यूल की जाएगी जब उपयुक्त भार प्रेषण केंद्र (एलडीसी) अर्थात एनएलडीसी/आरएलडीसी/एसएलडीसी को यह लिखित सूचना दे दी गई है कि उत्पादन स्टेशनों के संबंध में विद्युत की वांछित मात्रा के लिए साखपत्र (एलसी) खोला गया है। सूचना में आपूर्ति की अवधि भी विनिर्दिष्ट होगी। एलसी खोले जाने की अपेक्षित सूचना वितरण कंपनी द्वारा दी जाएगी तथा उत्पादक कंपनी द्वारा पुष्टि की जाएगी।
- (ख) एलसी पीपीए के अनुसार खोली जाए। तथापि, वितरण कंपनी एक सप्ताह अथवा पन्द्रह दिन की अनुरूपी आपूर्ति के लिए अल्पावधि हेतु एलसी खोल सकती है। इसकी सूचना संबंधित एलडीसी तथा उत्पादक कंपनी को दी जाए। इस प्रकार के मामलों में भी एलडीसी विद्युत शेड्यूल करेगा।
- (ग) यदि एलसी खोलने में कोई कठिनाई है तो वितरण कंपनी विद्युत की कम-से-कम एक दिन की खरीद की अनुरूपी राशि के बराबर राशि इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए अग्रिम भुगतान कर सकती है और संबंधित एलडीसी को इसकी सूचना दी जाए। इस प्रकार के मामलों में भी एलडीसी वितरण कंपनी को विद्युत की शेड्यूल करेगी। इस प्रकार शेड्यूल की गई विद्युत की मात्रा जमा कराई गई राशि की मात्रा तक सीमित होगी।
- (घ) वितरण कंपनी द्वारा विद्युत स्टेशनों के संबंध में पर्याप्त एलसी बरकरार नहीं रखने अथवा अग्रिम भुगतान नहीं करने की स्थिति में संबंधित वितरण कंपनी को उपयुक्त एलडीसी द्वारा उत्पादन स्टेशन से विद्युत की आपूर्ति शेड्यूल नहीं की जाएगी।
- (ङ) आरएलडीसी और/अथवा एसएलडीसी ग्रिड सुरक्षा के अनुरक्षण, यदि कोई हो के लिए इस निर्देश के तहत विद्युत की आपूर्ति के शेड्यूल की अस्थाई रूप से समीक्षा करें।
- (च) वांछित मात्रा के लिए जैसे ही साखपत्र (एलसी) खोला जाता है/नवीकरण किया जाता है अथवा एक दिन अथवा अधिक दिनों की आपूर्ति के लिए उतनी ही अग्रिम राशि जमा करा दी जाती है, उत्पादन कंपनी अथवा वितरण कंपनी उपयुक्त एलडीसी को सूचित करेगी। वितरण कंपनी को विद्युत की आपूर्ति यथाशीघ्र परंतु एक दिन से अधिक नहीं, बहाल की जाएगी।
- (छ) विद्युत आपूर्ति की शेड्यूलिंग नहीं करने की इस अवधि के दौरान उत्पादन स्टेशन डे अहेड आधार पर प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 6.00 बजे तक वेब आधारित शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर के जरिए ग्रिड संहिता के अनुसार शेड्यूलिंग से संबंधित सूचना देता रहेगा।

- (ज) आरएलडीसी/एसएलडीसी पूर्वाहन 8.00 बजे तक उनकी वेबसाइट में विद्युत के शेड्यूल नहीं की जाने वाली अनुसूची मात्रा के ब्यौरे सहित अपने संबंधित क्षेत्रों के निकायों की सूची प्रकाशित करेगा। आरएलडीसी/एसएलडीसी लाभार्थियों को विद्युत की शेड्यूलिंग करते समय संबंधित वितरण कंपनियों के शेड्यूल को प्रतिबंधित करेगी।
- (झ) उत्पादन केंद्र तथा वितरण कंपनी शेड्यूल का अनुपालन करेगी तथा ग्रिड प्रचालन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अंतर से बचेगी।
- (ञ) कार्यान्वित की जा रही विद्युत आपूर्ति के विनियमन के मामले में एनएलडीसी भी ऐसे उत्पादन केंद्रों को रिजर्व रेगुलेशन एनिसियलरी सर्विसिस (आरआरएस) से अलग रखेगा।
- (ट) संबंधित एलडीसी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे निकाय के पास एलसी की नॉन ओपनिंग अथवा अग्रिम भुगतान के कारण विद्युत की शेड्यूलिंग न होने की अवधि के दौरान पावर एक्सचेंजों से विद्युत प्राप्त करने की पहुंच नहीं है तथा उन्हें अल्पकालिक खुली पहुंच (एसटीओए) की अनुमति नहीं होगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3474

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा जल की बर्बादी

3474. श्री आर. वैद्यलिंगम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के ताप विद्युत संयंत्र पानी की बर्बादी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पानी की ये बर्बादी सरकार के वर्ष 2015 के आदेश का उल्लंघन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) में पानी की बर्बादी के बारे में विद्युत मंत्रालय/केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) ने सूचित किया है कि उसके ताप विद्युत संयंत्रों में पानी की कोई बर्बादी नहीं होती है। दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) ने सूचित किया है कि वह अपने ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा पानी की खपत को पानी की विशिष्ट खपत की निर्धारित सीमाओं के भीतर बनाये रखे हुए है।

ताप विद्युत संयंत्र कूलिंग टॉवर के माध्यम से कन्डेंसर कूलिंग एवं पुनर्चक्रण के लिए पानी का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, पानी का उपयोग डीएम (विखनिजीकरण) संयंत्र, पेय जल की आवश्यकताओं, अग्निशमन, कोयला प्रबंधन, राख प्रबंधन, सेवा जल आदि के लिए भी किया जाता है। विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों में, जल संरक्षण और पानी की बर्बादी में कमी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

- I. सघनता के उच्च चक्रीयन (सीओसी) पर कूलिंग टॉवरों का प्रचालन
- II. उच्च सघन गाद निस्तारण (एचसीएसडी) प्रणाली का उपयोग
- III. राख जल पुनर्प्राप्ति प्रणाली की स्थापना (एडब्ल्यूआरएस)
- IV. शुष्क फ्लाई ऐश संग्रहण प्रणाली का अंगीकरण
- V. शुष्क तलीय राख प्रबंधन प्रणाली का अंगीकरण
- VI. निचले स्तर के अनुप्रयोगों के लिए संयंत्र के अपजल का उपयोग
- VII. अपजल प्रशोधन एवं पुनर्चक्रण
- VIII. ड्राई कूलिंग सिस्टम का उपयोग

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 07 दिसंबर, 2015 को ताप विद्युत संयंत्रों में पानी की खपत के मानक अधिसूचित किए हैं। सीईए ने सूचित किया है कि अभी तक किसी भी ताप विद्युत संयंत्र को 2015 के आदेश का उल्लंघन करने में कोई छूट प्रदान नहीं की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3475

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर कम निर्भरता

3475. श्री देरेक ओब्राईन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत की 72 प्रतिशत बिजली कोयले से उत्पन्न की जाती है;
- (ख) क्या सरकार को अगले एक दशक या इसके आसपास की अवधि में कोयले पर निर्भरता के प्रतिशत में कमी होने की उम्मीद है; और
- (ग) सरकार का कोयले पर निर्भरता को कम करने का लक्ष्य कोल इंडिया लिमिटेड की वर्ष 2015 के अपने कोयला उत्पादन के आंकड़े के मद्देनजर वर्ष 2020 तक कोयला उत्पादन को दोगुना करने की योजना से कैसे मेल खाता है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत का उत्पादन चालू वर्ष 2019-20 (अप्रैल से जून, 2019) के दौरान देश में कुल उत्पादन का 71.12 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2018 के अनुसार 2021-22 के अंत तक कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से उत्पादन का हिस्सा अखिल भारतीय कुल विद्युत उत्पादन का 64 प्रतिशत होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, 2026-27 के अंत तक कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से उत्पादन का हिस्सा घट कर अखिल भारतीय कुल उत्पादन का लगभग 58 प्रतिशत होने की संभावना है।

इस अवधि के दौरान कुल उत्पादन में कोयला आधारित उत्पादन का हिस्सा मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा की वृद्धि के कारण कम हुआ है। तथापि, कोयला आधारित उत्पादन क्षमता 30.06.2019 को लगभग 195 जीडब्ल्यू से बढ़कर 31.03.2017 को 238 जीडब्ल्यू हो जाएगी। तदनुसार, कोयला की कुल आवश्यकता 2019-20 के लिए 698 एमटी से बढ़कर 2026-27 के दौरान 877 एमटी हो जाएगी। इस प्रकार, विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले की आपूर्ति में वर्तमान कमी को पूरा करने के अतिरिक्त कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) विद्युत क्षेत्र की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपना उत्पादन बढ़ा सकता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3476

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी की अचल संपत्तियों का मूल्यांकन

3476. श्री कुमार केतकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एनटीपीसी के तुलन पत्र में संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों (जो कुल योग के 5 प्रतिशत के मूल्य से अधिक हो) जैसे महत्वपूर्ण घटकों की सूची क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय द्वारा इन घटकों का आईएनए-एस 103 के अंतर्गत निष्पक्ष मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सही मूल्य क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : एनटीपीसी के तुलन-पत्र में कुल मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक पर मूल्यांकित परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के महत्वपूर्ण घटकों में स्ट्रीम जनरेटर, टरबाइन जनरेटर, ऐश हैंडलिंग जनरेटर, कोल हैंडलिंग प्लांट, अग्नि सुरक्षा प्रणाली, वेंटीलेशन सिस्टम, आग्जिलिएरी ट्रांसफार्मर, स्विच यार्ड, वैद्युत उपकरण, स्विच गियर तथा बस डक्ट, वाटर सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, कंट्रोल एंड इंस्ट्रुमेंटेशन सिस्टम तथा आग्जिलिएरी सहित इसकी अपनी भूमि, संयंत्र और उपकरण हैं।

(ख) और (ग) : जी, नहीं। विद्युत मंत्रालय ने कोई मूल्यांकन कार्य नहीं किया है। तथापि, एनटीपीसी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से आईएनडी एस अंगीकार किया है तथा आईएनडी एस 101 के उपबंधों के अनुसार आईएनडी एस के परिवर्तन काल के संबंध में परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरणों (पीपीई) के वहन मूल्यों के साथ जारी रहना चुना है। बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित हस्तांतरण योजना के अनुसार एनटीपीसी ने वर्ष 2018-19 के दौरान 15 दिसम्बर, 2018 से बिहार सरकार से बरौनी ताप विद्युत स्टेशन का अधिग्रहण किया है। तदनुसार, एनटीपीसी ने बरौनी ताप विद्युत स्टेशन के अधिग्रहण के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पहली बार आईएनडी एस 103 के लिए आवेदन किया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3477

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में सुधारों की स्थिति

3477. श्री धर्मपुरी श्रीनिवास:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में सुधार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है तथा उन सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या उन सुधारों से विद्युत क्षेत्र के घाटों से उबरने में सकारात्मक परिणाम मिले हैं; तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सुधारों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन-कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : केंद्र सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में किए गए प्रमुख सुधारों में विद्युत अधिनियम, 2003 का अधिनियमन, टैरिफ नीति 2006 की अधिसूचना तथा तदनंतर टैरिफ नीति 2016 के रूप में संशोधित करना, वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत के प्रापण के लिए प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देश, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय), नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन, संकटग्रस्त ताप विद्युत संयंत्रों के मुद्दों का समाधान करना, जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपाय; उत्पादन कंपनियों को अपने कम लागत वाले संयंत्रों से विद्युत प्रेषित करने की अनुमति देना; अपने कम लागत वाले संयंत्रों से कोयले के लचीले उपयोग को अनुमति देना; तापीय एवं नवीकरणीय ऊर्जा की बंडलिंग को अनुमति देना आदि शामिल हैं।

भारत सरकार द्वारा की गई सुधार पहलों के सकारात्मक परिणाम दिखाई दिए हैं। देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ है। देश में ऊर्जा और व्यस्ततम विद्युत कमी वर्ष 2002-03 में क्रमशः 8.3 प्रतिशत और 12.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 के दौरान 0.6 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत हो गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत तक, कुल संस्थापित विद्युत क्षमता बढ़ कर लगभग 356 जीडब्ल्यू और संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 77.6 जीडब्ल्यू तक पहुंच गई है। उदय राज्यों ने सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियाँ (एटीएंडसी हानियाँ) में कमी दर्शाई है जो वित्तीय वर्ष 2016 में 20.8 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018 में घटकर 18.24 प्रतिशत हो गई है। राष्ट्रीय स्तर औसत लागत आपूर्ति (एसीएस) - औसत राजस्व वसूली (एआरआर) अंतर वित्तीय वर्ष 2016 में 60 पैसे प्रति यूनिट की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018 में घटकर 23 पैसे प्रति यूनिट हो गया है।

विद्युत क्षेत्र एक गतिशील क्षेत्र है और जब भी जरूरत होती है, सरकार द्वारा सुधारात्मक पहल की जाती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3478

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

एनएचपीसी में वेतनमान में विसंगतियां

3478. श्रीमती विप्लव ठाकुर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 16 जनवरी, 2019 को सरकार ने एनएचपीसी में कार्यकारी अधिकारियों के वेतनमान के नियमितीकरण और वेतन की विसंगतियों को 01.01.1997 से प्रभावी रूप से दूर करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या ई 1 और ई 2 स्तर के अधिकारियों के वेतनमान की विसंगतियों को 01.01.1997 से प्रभावी रूप से संशोधित कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो वेतनमान की विसंगतियों को कब तक दूर किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : जी, हां। सरकार ने विद्युत मंत्रालय के दिनांक 04.04.2006 के आदेश के अनुसरण में 01.01.1997 से एनएचपीसी लिमिटेड में बोर्ड स्तर के नीचे के कार्यपालकों के वेतनमानों के नियमन का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है (अनुबंध-I)। तदनुसार, विद्युत मंत्रालय के दिनांक 29.01.2019 के पत्र के तहत निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए एनएचपीसी लिमिटेड को निदेश दे दिए गए थे (अनुबंध-II)।

राज्य सभा में दिनांक 23.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3478 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सं. 11/6/2006-डीओ (एनएचपीसी)

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक: 4.4.2006

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी)
सेक्टर 33, फरीदाबाद।

विषय: पर्यवेक्षक श्रेणी (एस-2/एस-3) से कार्यपालक श्रेणी (ई-1) और उससे ऊपर की श्रेणी में प्रोन्नत कर्मचारियों के वेतनमानों में विसंगतियों को दूर करने के लिए एनएचपीसी के बोर्ड का प्रस्ताव।

महोदय,

मुझे निदेशक (कार्मिक), एनएचपीसी के दिनांक 24.02.2006 के अर्धशासकीय पत्र सं. पीडब्ल्यूए-471 (खंड-5)/24 जिसके साथ दिनांक 17.02.2006 को आयोजित एनएचपीसी बोर्ड की 264वीं बैठक की कार्यसूची और उसके कार्यवृत्त जिसमें उपर्युक्त विषय पर विचार-विमर्श किया गया था और प्रस्ताव विद्युत मंत्रालय के विचारार्थ भेजने का निर्णय लिया गया था, की प्रति भेजी गई थी, का संदर्भ देने का निदेश हुआ है।

2. बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के वेतनमानों के संशोधन के लिए एनएचपीसी के प्रस्ताव पर इस मंत्रालय में विचार किया गया है। एनएचपीसी के बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के वेतनमानों में विसंगति को दूर करने को ध्यान में रखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जहां तक न्यायमूर्ति एस. मोहन समिति के दिनांक 25 जून, 1999 के कार्यालय ज्ञापन 2(49)/98-डीपीई (डब्ल्यूसी) की सिफारिशों के आधार पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित वेतनमानों के अनुसार वेतनमानों की रेंज का संबंध है, वेतनमानों में विसंगतियों को दूर करने तथा एनएचपीसी के बोर्ड द्वारा विचार किए जाने पर अनुबंध में उल्लिखित अनुसार संशोधित वेतनमानों को अपनाने में इस मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं है।

3. इसी बीच, इस मंत्रालय द्वारा इस संबंध में डीपीई को पत्र भेज दिया गया है।

भवदीय,

ह./-

(ए.के. कुट्टी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

अनुबंध

नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यपालकों के वेतनमानों का संशोधन

ग्रेड कोड	डीपीई के मॉडल वेतनमान (मोहन समिति की सिफारिशें)	ग्रेड कोड	एनएचपीसी के मौजूदा वेतनमान	अब प्रस्तावित वेतनमान
	1.1.1997 से		1.1.1997 से	
ई-0	6500-200-11350		विद्यमान नहीं	
ई-1	8600-250-14600	ई-1	8000-225-13400	8000-290-300-330(2)-350-360-370-390-410-420-440-460-470-480-13400
ई-2	10750-300-16750	ई-2	8600-250-14600	8600-330(2)-350-370-380-400-420-430-450-470-490-510-530-540-14600
		ई-2ए	10750-300-16750	10750-420-430-450-470-490(2)-530-540(3)-550(2)-16750
ई-3	13000-350-18250	ई-3	14500-350-18700	13750-550-575-600-610-620-625-685(2)-18700
ई-4	14500-350-18700	ई-4	16000-400-20800	16000-660-685(4)-700(2)-20800
ई-5	16000-400-20800	ई-5	17500-400-22300	17500-630-685(2)-700(4)-22300
ई-6	17500-400-22300	ई-6	18500-450-23900	18500-700(2)-730-750-780-850-890-23900
ई-7	18500-450-23900	ई-7	20000-475-25700	19500-750-810-845-880-910-945-960-25600
ई-8	20500-500-26500	ई-8	20500-500-26500	20500-670(2)-850-900-950-980-980(2)-26500
ई-9	23750-600-28550	ई-9	23750-600-28550	23750-900-950-980(2)-990-28550

राज्य सभा में दिनांक 23.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3478 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अति तत्काल

फाइल सं. 2/1/2014-एच.1 (पार्ट)

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक: 29 जनवरी, 2019

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी, फरीदाबाद।	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नीपको, शिलांग	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएनएल, शिमला	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसीआईएल, ऋषिकेश
--	--	--	---

विषय:- एनएचपीसी लिमिटेड, नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड तथा एसजेवीएन लिमिटेड में बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के वेतनमानों का 01.01.1997 से नियमन - के संबंध में।

महोदय,

इस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित आदेशों के अधिक्रमण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय के दिनांक 04.04.2006 तथा 01.09.2006 के आदेशों के अनुसरण में एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड, नीपको लिमिटेड तथा टीएचडीसीआईएल ने बोर्ड स्तर के नीचे के कार्यपालकों के 01.01.1997 से अपनाए गए वेतनमानों के नियमन का प्रस्ताव सरकार ने अनुमोदित कर दिया है:-

- विद्युत मंत्रालय का दिनांक 27.12.2013 का पत्र सं. 11/17/2009-एनएचपीसी/खंड 3
- नीपको को संबोधित विद्युत मंत्रालय का दिनांक 28.06.2017 का आदेश सं. 2/1/2014-एच1-खंड 3 (पार्ट)
- टीएचडीसीआईएल को संबोधित विद्युत मंत्रालय का दिनांक 28.06.2017 का आदेश सं. 2/2/2014-एच1 (पार्ट)
- एनएचपीसी को संबोधित विद्युत मंत्रालय का दिनांक 11.08.2017 का आदेश सं. 6/3/2015-एनएचपीएच (पार्ट 1)
- सभी विद्युत सीपीएसई को संबोधित विद्युत मंत्रालय का दिनांक 30.06.2017 का आदेश सं. 2/2/2014- एच1 (पार्ट)

2. उपरोक्त सीपीएसई को निदेश दिया जाता है कि सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करें।

भवदीय,

(एस. बेंजामिन)

अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफैक्स 23324357

प्रतिलिपि:-

- माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव।
- सचिव (विद्युत) के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव।
- संयुक्त सचिव (हाइड्रो) के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के प्रधान निजी सचिव/निदेशक (एच 1)/उप सचिव (एच-II)
- अवर सचिव (एच II)/अवर सचिव (एनएचपीसी)/अवर सचिव (वित्त)।
- मंत्रिमंडल सचिवालय (श्री एस.पी.जी. वेरघेसे, निदेशक), राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली को उनके दिनांक 21.01.2019 के पत्राचार सं. 4/सीएम/2019 के संदर्भ में।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3479

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

कोयला जलाने से उत्पन्न उड़न राख

3479. डॉ. विकास महात्मे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विद्युत केन्द्रों में कोयला जलाने से प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाली उड़न राख की मात्रा क्या है;
- (ख) विद्युत केन्द्र प्राधिकारियों द्वारा इस उड़न राख के निपटान के लिए की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या उड़न राख से कोई सह-उत्पाद तैयार किया जाता है और यदि हां, तो इससे विद्युत केन्द्रों को मिलने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या उड़न राख का प्रदूषण में कोई योगदान है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से प्राप्त सूचना के अनुसार 2013 से 2018 (अप्रैल से मार्च) तक उत्पन्न वार्षिक फ्लाई ऐश (मिलियन टन) नीचे दी गई है:-

क्रम सं.	वर्ष	फ्लाई ऐश का उत्पादन (मिलियन टन)
1	2013-14	172.87
2	2014-15	184.14
3	2015-16	176.74
4	2016-17	169.25
5	2017-18	196.44

(ख) : ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लाई ऐश के प्रबंधन और निपटान के लिए अपनाई गई विभिन्न पद्धतियां निम्नलिखित हैं:-

- वेट ऐश हैंडलिंग सिस्टम
- हाई कंसनट्रेशन स्लेरी डिस्पोजल (एचसीएसडी)
- ड्राई फ्लाई ऐश डिस्पोजल सिस्टम

(ग) : देश में उत्पन्न फ्लाई ऐश का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों जैसे खानों की भराई, सीमेंट, ईट और टाइलों के विनिर्माण, सड़कों में निचले क्षेत्रों का समतलीकरण, सड़कों और फ्लाई ओवरों के निर्माण, तटबंधों, कृषि, कंक्रीट, जल विद्युत क्षेत्र और अन्य कामों के लिए किया जाता है।

डाटा ऑफ ऐश अवेलबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन वेब पोर्टल से विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा प्राप्त राशि और वहन किए गए खर्च के मासिक आंकड़े (अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019) अनुबंध में दिए गए हैं।

(घ) : विद्युत संयंत्रों में उत्पन्न फ्लाई ऐश का प्रबंध ठीक ढंग से नहीं किया जाता है तो इससे फ्यूजटिव धूल होती है। तथापि, इससे बचने के लिए विद्युत संयंत्र को सभी अपेक्षित उपाय करने होते हैं।

राज्य सभा में दिनांक 23.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3479 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डाटा ऑफ ऐश अवेलबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन वेब पोर्टल से विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा प्राप्त राशि और वहन किए गए खर्च के मासिक आंकड़े (अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019)

क्रम सं.	माह	आंकड़े अपलोड करने वाले टीपीपी की संख्या	टीपीपी द्वारा प्राप्त राशि (रु.)	टीपीपी द्वारा वहन किया गया व्यय (रुपए)
1	अप्रैल-18	127	44,56,55,714	17,32,23,291
2	मई-18	127	46,48,85,571	23,43,93,781
3	जून-18	128	44,90,13,734	17,55,38,079
4	जुलाई-18	129	33,39,67,085	39,66,92,329
5	अगस्त-18	128	34,14,18,521	15,12,69,477
6	सितंबर-18	129	39,67,24,905	16,01,85,807
7	अक्तूबर-18	125	47,45,39,336	18,67,59,242
8	नवंबर-18	124	34,12,49,481	18,18,35,537
9	दिसंबर-18	122	43,95,90,397	23,49,03,422
10	जनवरी-19	122	43,24,02,530	25,25,89,219
11	फरवरी-19	120	37,64,40,936	15,67,82,596
12	मार्च-19	121	41,15,72,773	20,47,13,742
	कुल		4,90,74,60,982	2,50,88,86,523

संदर्भ - <https://mapp.ntpc.co.in/asha/>

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3480

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत पारेषण लाइनों का संवर्धन

3480. डॉ. आर. लक्ष्मणनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास विद्युत को आधिक्य वाले स्थान से विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों में पारेषण करने के लिए पर्याप्त क्षमता है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार को वर्तमान पारेषण लाइनों का संवर्धन कर विदेशों, जहां बेहतर तरीके अपनाए गए हैं, के बराबर करने की आवश्यकता महसूस करती है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय ग्रिड जिसमें लगभग 4,15,000 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनें तथा 220 के.वी. और उससे ऊपर के वोल्टेज स्तर पर 9,08,000 एमवीए अंतरण क्षमता शामिल है, देश की विद्युत मांग को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है। क्षेत्रों के भीतर और सभी क्षेत्रों में विश्वसनीय और सुरक्षित तरीके से विद्युत के अंतरण की सुविधा के लिए 99,050 मेगावाट की विद्युत अंतरण क्षमता वाले कई अंतर क्षेत्रीय पारेषण कॉरीडोर भी स्थापित किए गए हैं। यह पारेषण प्रणाली अधिक विद्युत वाले क्षेत्रों से कम विद्युत वाले क्षेत्रों को विद्युत के अंतरण की सुविधा प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, विद्युत की मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए देश में पारेषण क्षमता का संवर्धन मांग के अनुसार सतत रूप से किया जाता है।

(ग) और (घ) : पारेषण लाइनों की योजना विश्व में उपलब्ध बेहतर प्रक्रियाओं को अपनाकर तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के आधार पर विद्युत ग्रिड में मांग के अनुसार बनाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड विश्व में सबसे बड़े सिंक्रोनस विद्युत ग्रिडों में से एक है। भारत विश्व में 1200 एचवीएसी प्रौद्योगिकी जो सबसे अधिक एसी वोल्टेज स्तर है, में अग्रणी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3481

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

बिजली पाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में

3481. श्री नारणभाई जे. राठवा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बिजली की उपयोगिता और आवश्यकता को देखते हुए बिजली पाने के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन कारणों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : बिजली पाने के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार ने अंतिम छोर की कनेक्टिविटी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों को और शहरी क्षेत्रों में गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराकर घरों के सार्वभौमिक विद्युतीकरण को हासिल करने के लिए 11.10.2017 को प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य की शुरुआत की। सभी राज्यों ने 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ के वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में स्थित 18,734 घरों को छोड़कर, सौभाग्य पोर्टल पर सभी घरों का विद्युतीकरण घोषित कर दिया है। भारत सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) तथा विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) जैसे विभिन्न उपायों के जरिए राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। इन उपायों से सभी उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुसार विद्युत उपलब्ध करा दी गई है।
